न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 24 / 2014 (2014 / 00005)

तारीख दायरा—11.11.2014

तारीख निर्णय—18.02.2021

उनवान

1. श्री जीतमल पिता जोधराज सिंधवी उम्र वयस्क निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा ।
2. श्री नानालाल पिता जोधराज सिंधवी उम्र वयस्क निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा
3. श्री तेजमल पिता जोधराज सिंधवी उम्र वयस्क निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा ।
4. श्री निर्मल कुमार पिता जोधराज सिंधवी उम्र वयस्क निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा ।
5. श्रीमती कमला पुत्री जोधराज सिंधवी पत्नी गेहरीलाल बापना उम्र वयस्क निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा
6. श्रीमती गोपी पुत्री जोधराज सिंधवी पत्नी कन्हैयालाल सुराणा उम्र वयस्क निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री केसुलाल पिता कनीराम ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी ब्राहम्णों की छोटी भागल, नान्देशमा तहसील गोगुन्दा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से— श्री कन्हैयालाल चौरडिया

अप्रार्थी की ओर से— श्री संजय बोहरा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी भूमि राजस्व ग्राम नान्देशमा के आराजी संख्या 1688 रकबा 0.0900 है0 स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की माता श्रीमती टमुबाई के खातेदारी में अकिंत हैं। वादग्रस्त आराजी संख्या 1688 के पुर्व दिशा में विपक्षी की आराजी संख्या 1689 है उसके बाद आम सडक मौके पर मौजूद हैं। प्रार्थी के आराजीयात में आने जाने का रास्ता पुर्व में आराजी संख्या 1689 की पाली पर होकर आने जाने का बराबर था किन्तु विपक्षी ने बाउन्ड्रीबाल बनाकर आराजी संख्या 1688 में आने जाने के रास्ते को हमेशा के लिए बन्द कर दिया जिसकी वजह से प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 1688 में आने जाने से अवरूद्व हो गया है। विपक्षी से वादग्रस्त आराजीयात पर आने जाने हेतु आराजी संख्या 1689 में से 15 फीट का रास्ता प्रदान कराया जावें ताकि प्रार्थीगण अपने खेत में हल—बैल, ट्रेक्टर ला सके व ले जा सकें, उक्त रास्ते की जो डीएलसी रेट के अनुसार राशि होती है वह प्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है। प्रार्थीण के खेत बुवाई करने से मेहरूम हो गये है तथा भारी

Neelam

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला—उदयपुर (राज.)

आर्थिक एवं मानसिंक क्षति विपक्षी द्वारा रास्ता बन्द कर दिये जाने की वजह से हो गई है ऐसी स्थिति में तुरन्त आराजी संख्या 1689 से प्रार्थीगण को 15 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीण की तरफ से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हो प्रकरण में जबाव पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अकिंत आराजी संख्या 1688 के पुर्व में आराजी संख्या 1689 है परन्तु वह भी आबादी की भूमि है तथा उसके बाद आम रास्ता जाता है। प्रार्थीगण को आराजी संख्या 1688 में जाने हेतु कभी भी आराजी संख्या 1689 से रास्ता नही दिया गया है। प्रार्थीण हमें से अपनी आराजीयात में आराजी संख्या 1663 की पाली से होकर आराजी संख्या 1669 व 1670 के मध्य पाली पर होकर 1668 व 1671 में मध्य पाली पर होकर जो कि सभी पालियांक रास्ते के रूप में बनी हुई है से होकर अपनी आराजीयात पर बराबर आ जा रहे हैं।आराजी संख्या 1663 रास्ते से लगी हुंई है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी का रास्ता अवरूद्व कने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर बराबर आ जा रहे है तथा आराजी संख्या 1663 पर होकर ही गअपने खेतों पर आ जा रहे है उसने जानबुझकर सारे तथ्यों को छिपाकर विपक्षी को जलील एवं पेरशान करने की नियत से यह गलत प्रार्थनापत्र पेश किया है जो काबिले निरस्त है।

प्रकरण में तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा मौका रिपार्ट पेश कर बताया गया कि प्रार्थीण के आराजीयात में आने जाने हेतु पडौसी खा.न. जो पुर्व दिशा में स्थित होकर विपक्षी के आराजीयात जो 0.0400 है0 भूमि आबादी एवं 0.0150 है0 भूमि चार दर्ज रेकर्ड है जिसमें से रास्ते कि मांग की जा रहीं है। प्रार्थी के आराजीयात के पश्चिम दिशा में अन्य भूमि से लगा होकर आगे ढोल जाने वाली सडक से रास्ता निकला हुआ है, जो प्रार्थी के खेत से 40 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पुर्व दिशा की तरफ से प्रार्थीगण के खेत से 19 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रार्थीगण के आराजीयात पर आने जाने सहेतु बिलानाम आराजी संख्या 1273 किस्म रास्ता से जुड सकता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आबादी व कृषि भूमि दोनो होकर गुजरता है जिससें आबादी भूमि से रास्ता दिया जाना उचित नहीं होगा। तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई।

हमनें उभय पक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीण द्वारा मौजा नान्देशमा के आराजी संख्या 1688 रकबा 0.0900 है0 भूमि में जाने हेतु विपक्षी के आराजी संख्या 1689 में से 15 फिट रास्ते की मांग कि है जबकि प्रार्थीगण के आराजीयात भूमि के पश्चिम के तरफ अन्य भूमि से लगा होकर ढोल जाने वाली सडक से रास्ता निकला हुआ है जो प्रार्थी के खेत से 40 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं जिस भूमि से प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की मांग कर रहे है वह आबादी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आबादी भूमि से गुजरता है साथ ही तहसीलदार गोगुन्दा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजीयात पर आने एवं जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण को विपक्षी के आराजी संख्या 1689 में से

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

रास्ता दिया जाना उचित प्रतित नही होता हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता के जवाब एवं तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)